राष्ट्र की सुरक्षा की बात पर सभी देशवासी सरकार व सेना के साथ हैं : संत सरजूदास

बीकानेर,(कासं)। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आज नागरिक बैनर तले निकली तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न के साथ बीकानेर की जनता में जोश देखने को मिला।

बीकानेर वासियों ने उत्साह के साथ एकजुटता और देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा रतन बिहारी पार्क से शुरू होकर शहीद स्मारक पर सम्पन्न हुई। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों के साथ पूरा माहौल देशभक्ति का हो गया। संत सरजूदास महाराज ने कहा आज कि बीकानेर में आयोजित तिरंगा यात्रा में अपार जन समूह शामिल हुआ। राष्ट्र की सुरक्षा की जब भी बात आयेगी, हम सभी एक हैं। देशवासी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अपनी सेना के साथ हैं। तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोग, सेवानिवृत्त सैनिक, समाजसेवी संगठन, आम नागरिक, महिला एवं पुरूष, बच्चों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर एकजुटता, देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया।

विधायक कर्नल मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह धराशायी कर दिया। हम सभी अपनी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करते हैं। सुभाष गिरी महाराज ने कहा आज का भारत नया भारत है, जो किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। हमें सिर झुकाने की जरूरत नहीं होगी। हमारा डंका पूरी दुनियां में बजेगा। संतोषानंद महाराज ने कहा हमारे सैनिकों पर हमें पूरा विश्वास है। उनके शौर्य और पराक्रम से हमारा देश सुरक्षित है। पहलगाम आतंकवादी हमला का जवाब ऑपरेशन सिंदूर हमारे अभिमान का प्रतीक है एवं माता बहनों की उजड़ी मांग के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

कर्नल यश राठौड़ ने कहा कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं। मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, इस ध्येय के साथ हम सब नागरिकों को भी इस देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमारी सेना के सम्मान में निकलने वाली तिरंगा यात्रा ने आज सैनिकों को सम्मान दिया। कर्नल किशन सिंह ने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज हम एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। कारगिल सैनिक कुलदीप गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश एक नई ऊंचाईयों को छू रहा है। इस अवसर पर संत ओमनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत का नया पैमाना तय किया जा रहा है। जिसमें देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है।

कर्नल यश राठौड़ ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत भविष्य में किसी भी आतंकी हमले के जवाब में पुलवामा, उरी और पहलगाम हमले की तर्ज पर सीमा पार के आतंकी संगठनों और उसके आकाओं के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा। संत रामफूल महाराज ने कहा तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय के नारों के साथ बीकानेर वासियों ने देशभक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। आज की इस तिरंगा यात्रा में देवदास संत, शिवलाल तेजी, राजकुमारी व्यास, चंद्रकला, ओंकार सिंह भाटी, गोविंद सिंह भाटी, विनोद बाफना, भाजपा जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, श्यामसुंदर पंचारिया, तिरंगा यात्रा समन्वयक विजेंद्र पूनिया, विजय आचार्य, महेश व्यास, विधायक सिद्धि कुमारी, विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास, ताराचंद सारस्वत, बिहारी लाल विश्नोई, चंपालाल गेदर, ओम सारस्वत, सत्यप्रकाश आचार्य, मुमताज अली भाटी, मोहन सुराणा, श्याम सुंदर चौधरी, नरेश नायक, हनुमान सिंह चावड़ा, बाबूलाल गहलोत, आनंद सिंह भाटी, विजय उपाध्याय, गोकुल जोशी, दीपक पारीक, जितेन्द्र राजवी, भगवान सिंह मेड़तिया, मनीष सोनी, संगीलाल गहलोत, कौशल शर्मा, जगदीश सोलंकी, इंद्रा व्यास, भारती अरोड़ा, अनु सुथार, अशोक प्रजापत, वेद व्यास, राजाराम सीगड़, चंद्र मोहन जोशी, सोहन चांवरिया, जतिन सहल, प्रेम गहलोत, आशा आचार्य, विशाल गोलछा, दिनेश चौहान, कपिल शर्मा, धर्मपाल डूडी, देवरूप शेखावत, मुकेश सैनी, भूपेन्द्र शर्मा, आरती आचार्य, पंकज गहलोत, रामकुमार व्यास, विमल पारीक, स्वाति छाजेड़, इंद्रचंद मालू, मुकेश ओझा आदि मौजूद थे।

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा में बीकानेर वासियों ने उत्साह के साथ एकजुटता और देशभक्ति का संदेश दिया।

- तिरंगा यात्रा में दिखा बीकानेर वासियों का उत्साह
- एकजुटता और देशभक्ति का संदेश दिया
- पहलगाम आतंकवादी हमला का जवाब ऑपरेशन सिंदूर हमारे अभिमान का प्रतीक

पति, सास-ससुर को तीन साल की सजा

बीकानेर,(कासं)। महिला उत्पीड़न न्यायालय ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में आरोपी पति, सास-ससुर और ननद को दोषी मानते हुए प्रत्येक को तीन साल के कारावास और 20 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। विवाहिता की मौत हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपियों को दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने में दोषमुक्त किया है। सूडसर निवासी परिवादी भगवानाराम नाई की ओर से 23 अप्रैल, 11 को गजनेर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी पुत्री ममता की शादी 7 मई, 2009 को चांडासर निवासी श्रवण कुमार के साथ हुई थी। शादी के 4-5 माह बाद पति, सास भंवरी देवी, ससुर जगदीश व ननद पूजा ने दहेज की मांग को लेकर ममता को परेशान करना शुरू कर दिया। दहेज में मोटरसाइकिल और 50,000 रूपए की मांग करने लगे। 19 अप्रैल, 2011 को ममता की मौत हो गई। उसका शव फंदे से लटका मिला।

ससुराल वालों पर दहेज की मांग के लिए ममता की हत्या करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दहेज प्रताड़ना का दोषी माना और प्रत्येक को तीन साल का कारावास और 20,000 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दहेज हत्या और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में दोषमुक्त किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 20 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी एपीपी शिवशंकर स्वामी व परिवादी की ओर से पैरवी गणेशाराम ने की।

बीडीए के स्कीम एरिया करणीनगर में निगम ने दी निर्माण की अनुमति

- निगम अधिकारियों का तर्क है कि करणीनगर तो बिल्कुल बीडीए का एरिया है मगर यहां जो भी गंगाशाही पट्टे हैं उन पर हक निगम का है

बीकानेर, (कासं)। एक तरफ तो नगर निगम मदान मार्केट की फजीहत से बाहर नहीं निकल पाया तो दूसरी ओर निगम में बिना परमिशन बन रही बिल्डिंग और आपाधापी में दी जा रही परमिशन पर सवाल उठने लगे हैं।

लालगढ़ होटल के पीछे करणीनगर इलाका पूरी तरह से बीकानेर विकास प्राधिकरण का स्कीम एरिया है मगर नगर निगम ने यहां भी भवन निर्माण की परमिशन जारी कर दी। यहां भी स्वीकृति एक महिला के नाम जारी की गई जिसका पूरा एरिया और वार्ड बीडीए के अधीन है। इसकी परमिशन भी 27 जनवरी को जारी की गई थी। इस पर निगम अधिकारियों का तर्क है कि करणीनगर तो बिल्कुल बीडीए का एरिया है मगर यहां जो भी गंगाशाही पट्टे हैं उन पर हक निगम का है। इसलिए गंगाशाही पट्टों पर परमिशन देने का हक निगम का ही है। उपायुक्त यशपाल आहूजा ने कहा कि ये शिकायतें फर्जी हैं। सिर्फ एक लाइन को पकड़कर शिकायत अधिकृत नहीं होती। पूरे प्रकरण को समझना पड़ता है। ये सभी को पता है कि करणीनगर बीडीए का इलाका है फिर मैं कैसे वहां परमिशन जारी कर सकता हूं मगर गंगाशाही पट्टों की परमिशन निगम ही जारी करता आया है। आगे भी करेगा।

निगम में परमिशन का काम ऑनलाइन देने का है मगर नोखा रोड पर एक बिल्डिंग को ऑफलाइन न सिर्फ परमिशन दी गई बल्कि बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर होनी चाहिए। उसकी जगह 13.5 मीटर पर ही अनुमति जारी कर दी। दूसरा मामला बीडीए के स्कीम एरिया का है जहां निगम ने एक भवन निर्माण को यह कहकर अनुमति दे दी कि गंगाशाही पट्टे पर निगम का ही अधिकार है। नोखा रोड पर एक महिला के नाम से बिल्डिंग निर्माण की परमिशन मांगी गई। 17 जनवरी को वो स्वीकृति ऑफलाइन जारी की गई। जबकि निर्माण की स्वीकृति ऑनलाइन ही देना अनिवार्य है। आरोप है कि निगम ने ऑनलाइन में तकनीकी खामी बताई। जबकि 17 जनवरी को ही अन्य स्वीकृतियां भी ऑनलाइन जारी हुई है। इसके अलावा बिल्डिंग की ऊंचाई शर्तों में 15 मीटर होनी चाहिए मगर 13.5 मीटर की ऊंचाई पर स्वीकृति जारी कर दी गई।

डिस्पेंसरी में गोदारा जल मंदिर का लोकार्पण

बीकानेर, (कासं)। रोटरी मरूधरा परिवार की ओर से स्थाई सेवा प्रकल्प के तहत व्यवसायी एवं समाजसेवी पानी देवी एवं मेघाराम गोदारा द्वारा पुत्र की स्मृति शेष में मुरलीधर व्यास कॉलोनी स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में गोदारा जल मंदिर बनाया।

जल मंदिर का लोकार्पण बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, रोटरी पूर्व गवर्नर राजेश चूरा, सीएमएचओ पुखराज साध, डिप्टी सीएमएचओ डॉ लोकेश गुप्ता, रोटरी मरूधरा अध्यक्ष शकील अहमद एवं मेघराज गोदारा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक व्यास ने जल की महत्ता बताई। विशिष्ट अतिथि रोटरी पूर्व गवर्नर चूरा ने सेवा भावी प्रकल्प आमजन के हितार्थ बताया। हरिगोपाल उपाध्याय ने बताया कि मुरलीधर व्यास कॉलोनी की मुख्य सड़क पर बनी प्याऊ से जहां मरीज वर्ग, चिकित्सक वर्ग को ठंडे एवं साफ पानी की उपलब्धता रहेगी।

बेटे की हत्या का आरोपी पिता गिरफ्तार

- पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को श्रीविजयनगर कोर्ट में पेश किया जहां से जेल भेजा

श्रीगंगानगर, (कासं)। यहां जैतसर थाना पुलिस ने मारपीट कर बेटे की हत्या करने वाले आरोपी पिता को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को श्रीविजयनगर कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपी को कोर्ट के आदेश पर सूरतगढ़ जेल भेज दिया गया है। थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि एक पखवाड़े पहले माया देवी पत्नी श्याम लाल कम्बोज निवासी 6 एच पतरोड़ा, अनूपगढ़ ने परिवाद दिया था। जिसमें बताया कि उसकी बेटी प्रवीण रानी की शादी 15 साल पहले 11 बीजीडी निवासी राजकुमार (40) पुत्र महेन्द्र सिंह कम्बोज के साथ हुई थी।

राजकुमार शराब पीने के बाद अक्सर प्रवीण रानी और बेटे से मारपीट करता था। कई बार पंचायत हुई व आरोपी राजकुमार ने गलती भी मानी। लेकिन फिर भी मारपीट का सिलसिला जारी रहा। 29 अप्रैल को आरोपी राजकुमार ने पत्नी प्रवीण रानी और बेटे गौरव (13) से मारपीट की। मारपीट के बाद परिजन दोनों घायलों को पास के चिकित्सालय में लेकर गए। गंभीर अवस्था के कारण दोनों को इलाज के लिए पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर भेज दिया गया।

3 मई को इलाज के दौरान गौरव की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास करती रही। पुलिस ने आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया।

प्रिंसिपल-लिपिक के खिलाफ चालान पेश

बीकानेर, (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल और लिपिक को छात्रों से रिश्वत लेने के मामले में दोषी मानकर कोर्ट में चालान पेश किया है। घड़साना निवासी सुरेन्द्र कुमार और राजसमंद में भीम निवासी चेतनसिंह अंतिम वर्ष के छात्र थे। दोनों ने 31 मार्च, 2021 को एसीबी को रिपोर्ट दी कि नर्सिंग कॉलेज में उनका प्रवेश वर्ष, 2016 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ आरयूएचएस के निर्धारित फीस 70,000 रूपए है। इस साल की फीस जरिये चालान भरवा रखी है। परीक्षा 6 अप्रैल, 2021 से है जिसके प्रवेश पत्र लेने के लिए लिपिक मनीष बड़गुजर से मिले तो उसने कहा कि प्रिंसिपल ने डोनेशन के 10,000 रूपए मांगे हैं। रूपए देने से मना किया तो उसने प्रिंसिपल से मिलने के लिए कहा। छात्र प्रिंसिपल से मिले तो उसने 10-10 हजार रूपए डोनेशन के रूप में रिश्वत की मांग की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और 9 जुलाई, 2021 को दोनों आरोपियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया था। एसीबी ने मामले की जांच में दोनों आरोपियों को दोषी माना। जांच में माना कि दोनों आरोपियों ने छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने देने व मूल दस्तावेज नहीं लौटाने की धमकी देकर रिश्वत ली।

निर्जला एकादशी पर मेला भरेगा

बीकानेर, (कासं)। श्री लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल द्वारा भीषण गर्मी के ज्येष्ठ शुदी निर्जला एकादशी पर लक्ष्मीनाथ मंदिर प्रांगण के आगे भण्डाशह जैन मंदिर के मुख्य द्वार के आगे निर्जला एकादशी पर मेला भरेगा। इस मेले में गर्मी से राहत देने के लिए लक्ष्मीनाथ के हजारों भक्तों को ठंडा पानी शरबत और टैंट लगाकर छाया की व्यवस्था की जायेगी। मण्डल के अध्यक्ष राजेश छंगाणी ने बताया कि लक्ष्मीनाथ नवयुवक मंडल पिछले 38 वर्षों से निर्जला एकादशी के मेले में सेवा देते आ रहे है। हर साल की भांति इस साल भी 6 जून 2025 शुक्रवार को भरे जाने वाले निर्जला एकादशी मेले के पावन अवसर पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं।

सिंचाई पानी के लिए पदमपुर-गंगानगर स्टेट हाईवे 4 घंटे जाम

- गंगनहर में सिंचाई पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन व चक्का जाम

श्रीगंगानगर, (कासं)। सिंचाई पानी और पेयजल की गंभीर किल्लत से परेशान आक्रोशित किसानों ने चार घंटे तक पदमपुर-श्रीगंगानगर स्टेट हाईवे के सीसी हैड किसान चौक के पास चक्का जाम किया।

चार घंटे जाम के दौरान सड़क मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लम्बी कतारें लग गई और सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरूद्ध हो गया। तहसीलदार के आश्वासन पर किसानों ने सड़क मार्ग से धरना हटाया। किसानों ने बताया कि गंगनहर में पूरी मात्रा में सिंचाई पानी छोड़ने, किसानों की मौजूदा हालात में फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रह है, जिससे कृषि संकट गहराता जा रहा है। इसके अलावा, नहरों में आ रहे रसायन युक्त पानी की आपूर्ति को लेकर भी गहरी नाराजगी है। किसानों ने यह भी बताया कि यह दूषित पानी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है और भूमि की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की भारी किल्लत है। कई गांवों में ग्रामीणों को साफ पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे ही प्रदर्शन की सूचना प्रशासन को मिली तो तहसीलदार दर्शना इंदलिया, थाना प्रभारी सुरेन्द्र राणा सहित पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत कर समाधान का भरोसा दिलाया। कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद किसानों सड़क मार्ग से जाम हटाया, धरना स्थगित कर दिया।

शिविर में विशेष योग्यजनों के 232 चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी

श्रीगंगानगर,(कासं)। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार और जिला कलेक्टर डॉ. मंजू के निर्देशानुसार विशेष योग्यजन के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शिविर का आयोजन शुक्रवार को अनूपगढ़ पंचायत समिति सभागार में हुआ। इस दौरान शिविर में कुल 624 पंजीकरण हुए, जिनमें से 232 के चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये गये।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग श्रीगंगानगर के उपनिदेशक वीरेंद्र पाल सिंह सेखों ने बताया कि शिविर में 624 पंजीकरण हुए। इनमें से चिकित्सकों द्वारा 232 के चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये गये। शिविर में व्यापार मंडल अनूपगढ़ का सहयोग रहा। गुरू तेग बहादुर सोशल वेलफेयर सोसायटी अनूपगढ़ द्वारा नशा मुक्ति शपथ व रजिस्ट्रेशन, अग्रवाल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लीनिक और स्काउट व गाइड की तरफ से रोवर लीडर एडवोकेट रमेश सेवकनी की टीम ने सहयोग दिया। गणपति ई-मित्र की ओर से दिव्यांगजनों में फल वितरित किए गए। सेखों द्वारा इस दौरान जिला प्रशासन-पुलिस प्रशासन द्वारा जारी नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान के बारे में उपस्थितजनों को विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए नशा मुक्ति की शपथ भी दिलवाई गई।

शिविर में डॉ. संदीप बिश्नोई, डॉ. कमलेश कस्वा, दिनेश भारद्वाज, प्रीतम श्योराण और भारत भूषण सहित चिकित्सकों की टीम मौजूद रही। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के रोशनलाल, अरविंद बिश्नोई, तरूण, प्रवीण, रविराज, आलविन, अजय सिन्वर, ललित सहित अन्य ने भी शिविर में सहयोग किया।

अनूपगढ़ पंचायत समिति सभागार में आयोजित शिविर में विशेष योग्यजनों को जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 16.5.2025
श्री विनोद गर्ग पुत्र श्री फूलचन्द निवासी वार्ड नं. 9 गली नं. 2, दुर्गा विहार, श्रीगंगानगर द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार भूखण्ड संख्या 09 को अपंजीकृत इकरारनामा दिनांक 27.10.1998 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	पट्टे का विवरण	भूमि का विवरण	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल
श्रीगंगानगर	पटटा सं. 239 दिनांक 25.11.1985 को श्रीमती रंजना देवी पत्नी श्री मनोज कुमार के नाम से जारी किया हुआ है।	चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 58 के किला नं. 17 में माप 400 वर्गगज, श्रीगंगानगर	15 इंटू 40 फीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 660 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी। Rajkaj Ref. No. 15314564 – सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्रमांक :- नियमन/2025/3994 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 16.5.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री धीरज कुमार पुत्र श्री किरण कुमार निवासी वार्ड नं. 16 गोलूवाला निवादान, चक 24 जेआरके, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 5 ई छोटी मुरब्बा नं. 01 किला नं. 22 भू.सं. 231, 232 प्रत्येक माप 15 इंटू 50 फीट, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 91 व 92 दिनांक 10.5.2012 को श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह व श्री संता सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री धीरज कुमार द्वारा उक्त दोनों भूखंड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 8.1.2025 द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड का ऑनलाइन नामांतरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री धीरज कुमार पुत्र श्री किरण कुमार निवासी वार्ड नं. 16 गोलूवाला निवादान, चक 24 जेआरके, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्या :- SGNR/FY24-25/MUT/126 & 127 – सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नापासर (बीकानेर)
E-mail:- eonagarpalikanapasar@gmail.com
क्रमांकः–न.पा.ना.पा / निर्माण / 2025–26 / 354 दिनांक 14.05.2025
अल्पकालीन ई- निविदा-सूचना सं0 04/निर्माण/2025-26
नगर पालिका नापासर की ओर से विभिन्न कार्यो (कुल 01 कार्य) के लिये केन्द्र व राज्य सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐऐ", "ऐ" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट Web site www.SPPP.raj.nic.in से व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
निविदा की कुल लागत 20.00 लाख
UBN Number :- DLB2526WSOB04967
अधिशाषी अधिकारी
राज.संवाद / सी / 25 / 2426 नगर पालिका, नापासर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101369 **लोक सूचना** दिनांक : 16.5.2025
श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह	चक 5 जैड के मुरब्बा न. 5 के किला नं. 9/1 में 0.0110 है., किला नं. 11/1 में 0.1260 है., किला नं. 11/2 में 0.0260 है., किला नं. 12/3 में 0.0695 है. किला नं. 12/5 में 0.0685 है., किला नं. 19/1 में 0.1380 है., किला नं. 20 में 0.2530 है., किला नं. 21 में 0.2530 है., में से 0.1150 है., किला नं. 22/1 में 0.2010 है., में से 0.0630 है. यथाकुल 0.870 हेक्टेयेर	कुल 0.870 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16.5.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101362 **लोक सूचना** दिनांक : 16.5.2025
श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह	चक 5 जैड के मुरब्बा न. 5 के किला नं. 21 में 0.2530 है., में से 0.1380 है., किला नं. 22/1 में 0.2010 है., में से 0.0610 है., किला नं. 23/3 में 0.0960 है., में से 0.0610 है., किला नं. 24/5 में 0.0610 है., किला नं. 25/3 में 0.1315 में से 0.0665 है., कुल. 0.3875 एंव मुरब्बा न. 10 के किला नं. 1 में 0.2530 है., किला नं. 10/1 में 0.2515 है., किला नं. 11/1 में 0.2515 है., किला नं. 20/1 में 0.2515 है., किला नं. 21/1 में 0.2515 है., कुल. 1.259 है. यथाकुल 1.6465 है.	कुल 1.6465 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16.5.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101370 **लोक सूचना** दिनांक : 16.5.2025
भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरजे-01, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल	चक 5 जैड के मुरब्बा नं. 5 के किला नं. 4/1 में 0.0590 है. किला नं. 5/1 में 0.2005 है. किला नं. 6/1 में 0.2515 है. किला नं. 7/1 में 0.1763 है. किला नं. 14/3 में 0.0886 है. किला नं. 14/5 में 0.0877 है. किला नं. 15/3 में 0.1263 है. किला नं. 15/5 में 0.1252 है. किला नं. 16/1 में 0.2515 है. किला नं. 17/1 में 0.1763 है. किला नं. 24/3 में 0.0800 है. किला नं. 25/4 में 0.1080 है. यथाकुल 1.7309 हैक्टे.	कुल 1.7309 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16.5.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101368 **लोक सूचना** दिनांक : 16.5.2025
रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 रिद्धि सिद्धि एन्कलेव, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह	चक 5 जैड के मुरब्बा न. 5 के किला नं. 4/2 में 0.0050 है., किला नं. 7/2 में 0.0767 है., किला नं. 8 में 0.1900 है., किला नं. 9/2 में 0.0400 है., किला नं. 12/4 में 0.0575 है., किला नं. 12/6 में 0.0575 है., किला नं. 13/1 में 0.1260 है., किला नं. 13/2 में 0.1270 है., किला नं. 14/4 में 0.0384 है., किला नं. 14/6 में 0.0383 है., किला नं. 17/2 में 0.0767 है., किला नं. 18 में 0.2530 है., किला नं. 19/2 में 0.1150 है., किला नं. 22/2 में 0.0520 है., किला नं. 23/2 में 0.1150 है., किला नं. 24/4 में 0.0350 है., यथाकुल 1.4031 हेक्टेयर	कुल 1.4031 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16.5.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101367 **लोक सूचना** दिनांक : 16.5.2025
भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल निवासी आरजे-01, रिद्धि सिद्धि एन्कलेव प्रथम, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर	भूमि लक्ष्मी वाणिज्य प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री सुनील गोयल पुत्र श्री निरंजन लाल गोयल	चक 5 जैड के मुरब्बा न. 5 के किला नं. 24/2 में 0.0540 है., किला नं. 25/5 में 0.0120 है., कुल 0.0660 है., एंव मुरब्बा न. 10 किला नं. 4/1 में 0.1763 है., किला नं. 5/3 में 0.0380 है., किला नं. 6/3 में 0.0380 है., किला नं. 7/1 में 0.1763 है., किला नं. 14/1 में 0.1763 है., किला नं. 15/3 में 0.0380 है., किला नं. 16/3 में 0.0380 है., किला नं. 0.1763 है., किला नं. 17/1 में 24/1 में 0.1763 है., किला नं. 25/3 में 0.0380 है. कुल 1.0715 यथाकुल 1.1375 हेक्टेयर	कुल 1.1375 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 16.5.2025 को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

Government of India/भारत सरकार
Ministry of Communications/संचार मंत्रालय
Department of Telecommunications/दूरसंचार विभाग
Office of Controller of Communication Accounts/
कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा
Sanchar Lekha Bhawan, Jhalana Doongri Institutional Area, Jaipur-302 004
Ph. No. 0141-2700608 Email: cca.pension-rj@gov.in
पत्र क्रमांकः आरडॉट/8-2/ पेंशन अदालत/2025-26
पेंशन अदालत
कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 23.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे, कार्यालय नियंत्रक संचार लेखा, जयपुर में पेंशन अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। जिसमें आप अपनी पेंशन सम्बन्धी अनिर्णित शिकायत, यदि तीन माह से अधिक पुरानी हो तथा पिछली पेंशन अदालत में शामिल नहीं की गयी हो, तो दिनांक 19.05.2025, 03:00 बजे अपराहन तक इस कार्यालय को डाक द्वारा या ई-मेल-cca.pension-rj@gov.in पर भेज सकते है, ताकि उनके निवारण हेतु विचार किया जा सकें। इस पेंशन अदालत में आप स्वमं के खर्चे पर भाग ले सकते है।
वरि. लखिधिकारी (पेंशन)
CBC 06219/12/0001/2526 नियंत्रक संचार लेखा राजस्थान

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्र. :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 16.5.2025
सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित योजना में चक 2 एमएल मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 08 में माप 44 इन्टू 60 फीट भूखण्ड संख्या आरएसआई-01, रिद्धि-सिद्धि इन्कलेव श्रीगंगानगर का पटटा संख्या 5530 दिनांक 17.11.2016 को श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद के नाम से जारी किया हुआ है जो कि श्री विजय कुमार छेड़ा पुत्र श्री बनवारी लाल छेड़ा निवासी म.न. 13 तिलक नगर, जिंदल हॉस्पीटल के पास, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक [illegible]
Rajkaj Ref. No. 15340410 – सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)
Telefax No. 0154-2466652, Email :- uit_sgnr@yahoo.com Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001
क्र. :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 16.5.2025
[illegible]
Rajkaj Ref. No. 15277038 – सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
क्रमांक :- LU2012/SGN/2025-26/101366 **लोक सूचना** दिनांक : 16.5.2025
रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह निवासी आरएस-08 [illegible]

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	रिद्धि सिद्धि होम डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये श्री मुकेश शाह पुत्र श्री शिव प्रसाद शाह	चक 7 ई छोटी मुरब्बा नं. 26 के किला नं. 13/2 में 0.1010 है., यथाकुल 0.1010 हैक्टे.	कुल 0.1010 हैक्टेयर

[illegible] - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर